पत्रांक-14/स्थानीय नीति-14-02/2010का0 1853

(177)

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी, भा0प्र0से0
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

रॉची, दिनांक- 26 फरवरी,2015

विषयः- जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संदर्भ में स्थानीय जॉंच की प्रकिया ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक-3540 दिनांक-03.07.2004 एवं 3376 दिनांक-05.06.2008 का कृपया निदेश किया जाय, जिसके द्वारा जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अंकित अनुदेश निम्न प्रकार है :-

"सामान्यतः जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु भू-अभिलेख/ पंचायत/ नगर पंचायत/ नगरपालिका/ नगर निगम/ निबंधन कागजातों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है तथापि यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सके, तो ईमानदारीपूर्वक स्थानीय जॉंच कर जाति का निर्धारण किया जा सकता है ।

जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प्रत्रांक बी0सी0 12025/02/76-ए0टी0सी0 दिनांक-22.03.1977 भी प्रासंगिक है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के किसी खास स्थान विशेष का होना विशेष महत्त्व रखता है ।

स्थानीय जॉंच के कम में जॉंच पदाधिकारी द्वारा जॉंच की सही प्रकिया अपनायी जानी चाहिए ताकि गलत प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो सके । कोई भी जाति प्रमाण-पत्र उपयुक्त सत्यापन के पश्चात् तथा निर्गत करने वाले पदाधिकारी के स्वयं संतुष्ट होने के आधार पर ही निर्गत किया जाय ।"

सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिनके दावे के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सके, उनकी जाति का निर्धारण निम्न रूप में स्थानीय जॉंच की प्रकिया अपना कर की जाय तथा तदनुसार जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय :-

(क) जाति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन अंचल पदाधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा । अंचल पदाधिकारी प्राप्त आवेदन के आलोक में आवेदक की जाति के समर्थन में किसी अभिलेख के उपलब्ध नहीं होने के संबंध में पर्याप्त छानबीन करेंगे एवं आश्वस्त होने के उपरान्त अपनी

अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । प्रज्ञा केन्द्र के पास भी ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर वहाँ से अंचल पदाधिकारी को ही भेजा जायेगा ।

(ख) अनुमण्डल पदाधिकारी आवेदक के निवास स्थान के अनुसार शहरी निकाय/ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर कमशः कार्यपालक पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को स्थानीय जाँच हेतु पृष्ठांकित करेंगे ।

(ग) कार्यपालक पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी आवेदन पत्र क्रमशः शहरी निकाय में वार्ड पार्षद/ ग्राम पंचायत के मुखिया को पृष्ठांकित करेंगे ।

(घ) वार्ड पार्षद/ मुखिया वार्ड समितियों की राय प्राप्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की जाति का स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यपालक पदाधिकारी/अंचलाधिकारी को भेज देंगे ।

(ड़) कार्यपालक पदाधिकारी/अंचलाधिकारी सम्यक् जाँचोपरान्त अपनी संतुष्टि के आधार पर मन्तव्य के साथ प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजेंगे ।

(च) अनुमण्डल पदाधिकारी प्राप्त प्रतिवेदन की भलीभाँति जाँच कर अपनी संतुष्टि के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे ।

उपरोक्त प्रकिया आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि से 21 दिन के अन्दर पूरी हो, इसे अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

26/2/15

(एस0 के0 शतपथी)

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-14/स्थानीय नीति-14-02/2010का0 1853 / राँची, दिनांक-26फरवरी,15

प्रतिलिपिः- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग तथा परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/2/15

सरकार के प्रधान सचिव ।

Niranjan-24-02-15